संख्या–3158/38–4–2004–10PMGY/2003

प्रेषक,

राजीव अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0ग्रामीण एवं विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2004

विषय– उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय संविदा के आधार पर कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–1747/वि0का0/प्र0ग्रा0 ग्राम्यो/04, दिनांक 04–08–2004 का संदर्भ ग्रहण करें। इसके द्वारा उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में पद सृजन विषयक शासनादेश संख्या–1436/38–4–2004–10पी0एम0जी0वाई0/2003, दिनांक 10–7–2004 द्वारा स्वीकृत 30 पदों में से 07 पदों (एम0 एण्ड आई0 स्पेशलिस्ट–01 पद तथा चपरासी–06 पद) को संविदा पर भरे जाने के सम्बन्ध में कतिपय तथ्यों से अवगत कराते हुए अभिकरण ने संविदा पर कर्मियों की सेवायें मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर एजेन्सी से प्राप्त किये जाने की अनुमति दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अभिकरण में संविदा पर स्वीकृत 07 पदों हेतु मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर एजेन्सीज के माध्यम से विज्ञापित कर सेवाएं प्राप्त की जायें। संस्था की सेवा शुल्क की धनराशि कार्मिकों हेतु स्वीकृत नियत वेतन के अतिरिक्त होगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव अग्रवाल)
विशेष सचिव।